

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• गणेश पुत्र सोन्या जाति जाट आयु लगभग 41 साल निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अराई अजमेर राज. ।
-वादी।

बनाम

• गोपाली पुत्री सोन्या जाति जाट, बालिग निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
-प्रतिवादीगण।



किस्म मुकदमा- धारा 53, 188, राज0 का0 अधि01955

नंबर 22/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 109

वकील वादी :- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/06/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 21/06/2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई	
21/06/24	पत्रावली पेय हुकी वकील वादी उपस्थित वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगणों के रधि. डाक के समान पेय किम. जा. शा. मि. अग्राने 01 से 08 के तामील शुदा रधि. डाक के मात 21/06/24 प्रतिवादी न. 2, 4, 6 की ओर से वकील वादी अग्रामे अर्मा उप. होकर तसललनामा पेय किम जा. शा. मि. वातने तलबी प्रतिवादी 09, 10 व उवाव प्रतिवादी न. 2, 4, 6 हेतु पत्रावली किांक 26/7/2024 को पेय  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

26/7/24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वकील
प्रतिवादी उप वकील प्रतिवादीने जवाब हेतु
समय-चाहण वाले जवाब पत्रावली निम्न
18/10/2024 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

C. NO. 22/2022 गणेश v/s गोपाली

18/9/2024

वकील वादी श्री अशोक शर्मा द्वारा हमारे
समक्ष पेश होकर एक प्रारूप वास्तु हस्तगत
वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते बाबत
का प्रारूप पेश करने तथा आग्रह में उक्त
प्रारूप को स्वीकार करने से पत्रावली नियत
तारीख पूर्व आज तलवी की गयी वकील वादी
ने निवेदन किया कि वे वाद पत्र में आगे कोई
कार्यवाही नहीं चाहते हैं; श्रीमान के निवेदन
हैं कि पुकरण को खारिज किया जावे
हमारे द्वारा वकील वादी को मुना गाना अतः
तारीख का वाद पत्र श्री स्वर पर खारिज
किया जाता है पत्रावली प्रेमल शुभकर
मथाला से कत है।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)